—: अल्पकालीन निविदा सूचना :—

शासनादेश संख्याः 05/2019/2902/33–2–2019–198जी/2018, दिनांकः 16 अगस्त, 2019 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुरूप जिला पंचायत, बागपत में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के साथ–साथ जिला पंचायतों/सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों में रजिस्टर्ड ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि विगत वर्षो की भॉति इस वर्ष भी श्रावण मास की महाशिवरात्रि का प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मेला ग्राम पुरा स्थित श्री परशुरामेश्वर मन्दिर में दिनांकः 05.08.2021 से 08.08.2021 तक आयोजित होगा। उक्त मेले को सःकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला पंचायत बागपत द्वारा, जिलानिधि में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत दिनांकः 26.07.2021 की अपरान्ह 1:00 बजे तक सामान्य टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत निविदां आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदां तद्‌दिनांकः 26.07.2021 को ही समिति द्वारा अपरान्ह 2:30 बजे अपर मुख्य अधिकारी कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। इच्छुक ठेकेदार निविदां प्रपत्र दिनांकः 26.07.2021 की पूर्वान्ह 12.00 बजे तक निर्धारित टेण्डर शुल्क जमा कराकर कार्यालय जिला पंचायत, बागपत से क्रय कर सकता है। विदित रहे कि निविदांदाता द्वारा निविदां प्रपत्र के साथ रू0 100 के स्टाम्प पर शपथ–पत्र व 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बागपत के पदनाम से बंधक कराकर जिला पंचायत, बागपत के टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी। निविदां स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा तथा सक्षम अधिकारी ही कार्य में घटोत्तरी/बढोत्तरी, संशोधन अथवा कार्य समाप्त कर सकते हैं। निविदादाताओं को निर्माण नियमावली 1985 के समस्त प्राविधानों का पालन करना होगा। कार्य का विवरण कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस अथवा जनपद की वेबसाईट **http//baghpat.nic.in** पर देखा जा सकता है। ठेकेदार किसी भी कठिनाई के लिए किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

नोटः–

1. जिला पंचायत, बागपत द्वारा आमंत्रित निविदाओं में शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों उसी श्रेणी की निविदां में प्रतिभाग करेगा, जिस श्रेणी के लिए वह अपने विभाग में पंजीकृत है।
2. जिला पंचायत, बागपत द्वारा आमंत्रित की गई निविदां में अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार से न्यूनतम निविदां प्राप्त होने की दशा में वह एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से जिला पंचायत, बागपत में पंजीकरण हेतु अपने प्रमाण–पत्रों सहित निर्धारित शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट/ई–बैंकिंग के माध्यम से इण्डियन (इलाहाबाद) बैंक के खाता संख्याः 21090368754, IFSC Code-IDIB000B541 में जमा करायेगा। तदोपरान्त निविदां की शर्तो के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुए अनुबन्ध गठित करायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बागपत।

कार्यालय जिला पंचायत, बागपत।

पंत्रांकः–364 /जि0पं0,बागपत/2021–22, दिनांकः–15/07/021

प्रतिलिपिः–निम्नांकितो को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक दैनिक जागरण व जनवाणी, बागपत को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त सूचना को अपने आगामी अंक के दैनिक समाचार पत्र में कम से कम स्थान में शासकीय दरों पर केवल एक बार प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
2. जिलाधिकारी महोदय, बागपत।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी महोदय, जिला पंचायत, बागपत।
4. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे निविदां खोले जाने हेतु नियत दिनांक व समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे उक्त निविदां सूचना को जनपद की वेबसाईट **http//baghpat.nic.in** पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बागपत।

–: सूची :–

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित प्रांकलन की धनराशि (लाख रू0 में)	धरोहर की धनराशि (रू0 में)	निविदां शुल्क+जी.एस.टी. की धनराशि (रू0 में)		
				निविदां शुल्क	18% GST	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम बरनावा आश्रम से गल्हैता कावड वन मार्ग की आवश्यक मरम्मत, बैरिकेटिंग व प्रकाश व्यवस्था एंव ग्राम बालैनी, हरियाखेडा, पुरा आदि गॉवों में कावड मार्ग के विधुत पोलो पर बल्ब लगाकर प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य।	**5.42**	10840	1500	270	**1770**

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बागपत।